न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 101/2019

अनवान : –

1. नन्दलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. जोतराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 30/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 119/124 के ख0न0 35 की 85 बिघा 07 बिस्वा, ख0न0 70 की 26 बिघा 12 बिस्वा, ख0न0 71 की 25 बिघा 10 बिस्वा, ख0न0 72 की 35 बिघा 7 बिस्वा, ख0न0 166 की 30 बिघा 13 बिस्वा, ख0न0 175 की 65 बिघा 19 बिस्वा, ख0न0 176 की 10 बिघा 10 बिस्वा, ख0न0 177 की 19 बिघा 10 बिस्वा, ख0न0 178 की 46 बिघा 19 बिस्वा, ख0न0 193 की 24 बिघा, ख0न0 195 की 13 बिघा 3 बिस्वा ख0न0 203 की 27 बिघा 8 बिस्वा, ख0न0 204 की 53 बिघा 08 बिस्वा, ख0न0 193/218 की 30 बिघा कुल भूमि मे से 98 बिघा 10 बिस्वा भूमि बन्नाराम पुत्र रावताराम जाति जाट ने अपने हिस्से मे से महेन्द्र सिंह काशीराम को 8 बीघा व महावीर, नन्दलाल, रामकुमार, जोतराम पि0 काशीराम को 12 बीघा कृषि भूमि बैय की थी।

रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर की 20 बिघा भूमि जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा 240 हिस्सा यानि 12 बिघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 8 बिघा भूमि यानि 160 हिस्सा भूमि खरीद की थी एवं बैयनामा के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम 12 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8 बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज होना था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त सम्पूर्ण 20 बीघा भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। इसलिए रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या ... की कुल 125.0090 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 20 बिघा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 बहिब 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 को 8 बिघा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बैयनामे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर की 20 बिघा भूमि जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा 240 हिस्सा यानि 12 बिघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 8 बिघा भूमि यानि 160 हिस्सा भूमि खरीद की थी एवं बैयनामा के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम 12 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8 बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज होना था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त समस्त 20 बीघा भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। इसलिए रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 104/93 की कुल 125.0090 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 20 बिघा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 4 बहिब 12 बिघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 को 8 बिघा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई [illegible] नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 105/93 की कुल 125.0090 हैक्ट भूमि में से 5062/125009 हिस्सा भूमि प्रतवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है मुताबिक बैयनामा 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 12 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा खरीद की हुई है मुताबिक बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 के 8 बीघा एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम 12 बीघा बहिब दर्ज होनी थी। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 105/93 की कुल 125.0090 हैक्ट भूमि में से 5062/125009 हिस्सा भूमि प्रतवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है मे प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय 2.024 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा 3.038 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 101/2019
अनवान : –

1. नन्दलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. जोतराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 101 सन 2019 निर्णय दिनांक 30/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 105/93 की कुल 125.0090 हैक्ट भूमि में से 5062/125009 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है मे प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय 2.024 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा 3.038 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested